(339) 1 (304) (211)

निग०-5037/2018/सीधी/भू.रा०

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर सर्किल कोर्ट
रीवा जिला रीवा (म.प्र.)

10रु. COURT FEE Rs.10 भारत दस रुपये TEN RUPEES विलोपित / विलोपित 20रु. COURT FEE Rs.20 INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

1- गुलाबराम तनय भुवनेश्वर प्रसाद तिवारी
2- श्यामलाल तनय भुवनेश्वर प्रसाद तिवारी
3- फूलबाई पत्नी स्व. लालबहादुर
4- राजेश तिवारी तनय स्व. लालबहादुर
5- विनोद तिवारी तनय स्व. लालबहादुर
6- श्रीकांत तिवारी तनय स्व. भुवनेश्वर प्रसाद तिवारी
7- लालमणि तनय बैकुण्ठ प्रसाद

सभी निवासी ग्राम सलैया तहसील चुरहट जिला सीधी (म.प्र.)

अधि० श्री कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा पेश 20-8-18

..................निगरानीकर्ता

बनाम

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (सर्किल कोर्ट) रीवा

1- सुमन पत्नी स्व. रामलाल
2- अनिल तनय स्व. रामलाल
3- अर्पित तनय स्व. रामलाल
4- अंकित तनय स्व. रामलाल
5- अर्चना पुत्री स्व. रामलाल
6- अनीता स्व. रामलाल

सभी निवासी ग्राम सलैया तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)

.... गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय के अपील प्रकरण क्र.-12/अपील/2017-18 पुनष्च्य आदेश दिनांक 10.07.2018 समय 4:30बजे अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

मान्यवर,

निगरानी के संक्षेप में तथ्य निम्न हैं

1- यह कि आराजी नं.-397/1494 स्थित ग्राम सलैया, तहसील चुरहट जिला सीधी निगरानीकर्तागण की पुस्तैनी भूमि है जिसमें निगरानीकर्तागण के पूर्वज काबिल दखिल थे जिसका फर्जी रूप

1

निग0-5037/2018/सतना/भू.रा.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक RS037/भू.रा./18 जिला– सतना

गुलाबराम तिवारी विरूद्ध सुमन वगैरह

(1)	(2)	(3)
16-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री ...... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कमिश्नर~~/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 12/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 10-7-18 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 20-8-2018 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	